

संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश

पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड (अ) भोपाल

क्रमांक/स्था./SAS/परिवीक्षा/2018/ 346

भोपाल, दिनांक 27/02/2018

प्रति,

कार्यालय प्रमुख,

----- (म.प्र.)

विषय:- सीधी भर्ती(2015) के माध्यम से नियुक्त अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने बाबत ।

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सीधी भर्ती के माध्यम से दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त एस.ए. एस. अधिकारियों जिनको म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः उपरोक्तानुसार आपके कार्यालय में कार्यरत ऐसे एस.ए.एस. अधिकारियों की निम्न प्रारूप में जानकारी एवं संलग्न कार्य व्यवहार प्रमाणपत्र दिनांक 15.01.2019 तक अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

क्र.	वरियता क्र 01.01.2018 की स्थिति में	अधिकारी का नाम	संवर्ग में नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में कार्यभार ग्रहण दिनांक	सी.आर. ग्रेडिंग			कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा	पुलिस चरित्र सत्यापन की स्थिति
					2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित एस.ए.एस. अधिकारी की परिवीक्षा समाप्त करने के संबंध में कॉलम क्रमांक-09 में अनुशंसा भी अनिवार्यतः अंकित की जावे एवं कॉलम क्रमांक 10 अनुसार पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न कर प्रेषित करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



(अ.के. शर्मा)
अपर संचालक

पृ.क्रमांक/स्था./SAS/2018/347

भोपाल, दिनांक 27/02/2018

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संबंधित एस.ए.एस.अधिकारी श्री/श्रीमती-----की ओर सूचनार्थ ।
3. वेबसाइट शाखा, संचालनालय कोष एवं लेखा की ओर लेख है, कि पत्र विभाग की वेब-साईड पर अपलोड करें ।


अपर संचालक
कोष एवं लेखा

कार्यालय का नाम

परीवीक्षा अवधि में कार्य व्यवहार के आंकलन संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष-2015 में सीधी भर्ती (व्यापम) श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री----- अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी कार्यग्रहण दिनांक----- से दिनांक----- तक की अवधि में परीवीक्षा पर पदस्थ रहे हैं। परीवीक्षा अवधि में संबंधित कर्मचारी का शासकीय कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद रहा।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री----- के विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण, विभागीय जांच अथवा न्यायिक प्रकरण लंबित नहीं है।

3- अतः श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री----- की परीवीक्षा अवधि दिनांक----- को समाप्ति एवं दिनांक----- से प्रथम वृद्धि की अनुसंशा करता हूँ।

कार्यालय प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा